राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाली

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट बाली)

GCMS NO. 2024/ 398 **—:आदेश:—** दिनांक 21/10/24

तहसीलदार बाली ने अपने कार्यालय पत्रांक/भू.अ./2024/2616 दिनांक 08.10.2024 से श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय पाली के आदेश दिनांक 09.03.2024 की पालना में ग्राम भीटवाडा के खसरा नंबर 682 में स्थित शमशान भूमि को राजस्व रेकर्ड में 0.32 हैक्टर रकबा दर्ज करने का आदेश हुआ था। उक्त आदेश की पालना में पटवारी हल्का भीटवाडा जरिये नामांतरकरण संख्या 1479 भरा गया एंव खसरा नंबर 682 में 0.32 हैक्टर की तरमीम की गई थी। उपरोक्त शमशान भूमि की तरमीम का सुपर इम्पोज नक्शा प्राप्त करने पर पटवारी हलका भीटवाडा ने जांच रिपोर्ट पेश की है कि खसरा नंबर 682 के चारों तरफ आबादी होने एंव आस—पास कोई मुश्तिकील बिन्दु नहीं होने से जो तरमीम की गई है, वह अशुद्ध है। मौके पर विवाद की स्थिति है। अतः तरमीम में हुई त्रुटि को दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया। तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकार करते हुयें राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 136 के तहत तरमीम में हुई त्रुटि को दुरूस्त कर माफिक रिपोर्ट पटवारी हल्का भीटवाडा ग्राम भीटवाडा के खसरा नंबर 682 की तरमीम शुद्धि के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बाली व पटवारी हल्का भीटवाडा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व नजरी नक्शा को आदेश का भाग माना जावें। आदेशानुसार नक्शे में शुद्धि कर पालना रिपोर्ट पेश करें।

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी बाली
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा. कलक्टर, बाली

क्रमांक/कोर्ट/2024/2167-2169 दिनांक 21/10/2024

प्रतिलिपि :—

1. तहसीलदार बाली को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. निरीक्षक भू—अभिलेख मौखमपुरा
3. पटवारी हल्का भीटवाडा को पालनार्थ।

उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी बाली
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा. कलक्टर, बाली

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) बाली जिला–पाली(राज.)

क्रमांक/भू.अ./2024/2616 दिनांक 8/10/24

प्रेषितिः– श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय
बाली

विषयः– ग्राम भीटवाडा के खसरा नं. 1718/682 रकबा 0.32 हैक्ट. किस्म गै.मु. शमशान की तरमीम दुरूस्ती का आदेश प्रदान करवाने बाबत्।

महोदयजी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, पाली के आदेश दिनांक 09.03.2024 से ग्राम भीटवाडा के राजकीय सिवायचक खसरा नं. 682 में स्थित शमशान भूमि को राजस्व रेकर्ड में 0.32 हैक्ट. रकबा दर्ज करने का आदेश हुआ था। उक्त आदेश की पालना हेतु पटवारी हल्का भीटवाडा संख्या जरिये नामांतरकरण संख्या 1479 भरा गया एवं खसरा नं. 682 में 0.32 हैक्ट की तरमीम की गई थी। उपरोक्त शमशान भूमि की तरमीम का सुपर इम्पोज नक्शा प्राप्त करने पर पटवारी हल्का ने जांच रिपोर्ट पेश की है कि खसरा नं. 682 के चारों तरफ आबादी होने एवं आस–पास कोई मुश्तिकील बिन्दु नहीं होने से जो तरमीम की गई है, वह अशुद्व है।

अतः मौके पर विवाद की स्थिति है। अतः निम्नानुसार तरमीम को दुरूस्त किया जाना आवश्यक है, जिसकी नजरिया नक्शा निम्नानुसार हैः–

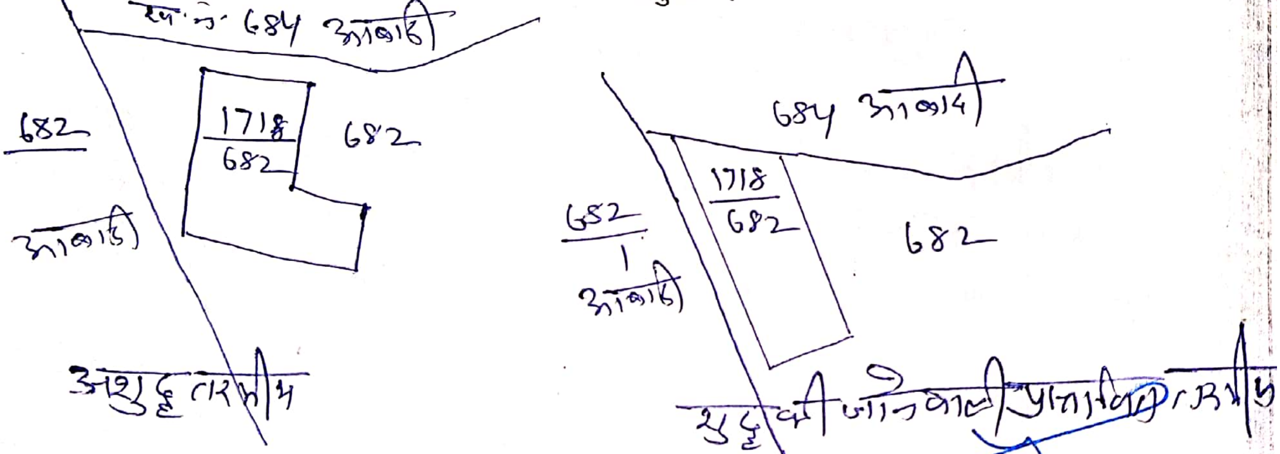

तहसीलदार (भू.अ.) बाली

तहसीलदार (भू.अ.) बाली

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी, बाली, जिला - पाली (राज.)

Ex - Court

21/X/024

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner